



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271507
CG-DL-E-02042026-271507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1616]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 1616]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

का.आ. 1681 (अ).— राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (48 ऑफ 1956) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारियों के कार्यों का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है, जो री-भोई जिले में डिज़ाइन किमी 0+000 से किमी 18+930 और किमी 20+600 से किमी 21+810 तक, पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में डिज़ाइन किमी 35+250 से किमी 66+405 तक, पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में किमी 66+220 से किमी 66+340 (दाहिनी ओर) और किमी 66+405 से किमी 147+250 तक के डिज़ाइन खंड तक के भूभाग से संबंधित है; मेघालय के मावलिंगखुंग (शिलांग के पास) से असम के पंचग्राम (सिलचर के पास) तक 166.80 किमी लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर (एनएच-6) के विकास, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए।

अनुसूची

मेघालय राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-New NH 6 तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	डीसी(आर), री-भोई	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या New NH 6	मेघालय	री भोई	भोइर्यबोंग	1 मावपुन क्षैद

	जिला	के कि.मी 0 से कि.मी 21.81 तक			2 नोंग्सडर
2	डीसी (आर), पश्चिम जयंतिया हिल्स जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या New NH 6 के कि.मी 35.25 से कि.मी 66.405 तक	मेघालय	वेस्ट जैन्तिया हिल्स	थाडलास्कीन 1 नोंगखरोह
3	डीसी (आर), पूर्वी जयंतिया हिल्स जिला	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या New NH 6 के कि.मी 66.22 से कि.मी 147.25 तक	मेघालय	ईस्ट जैन्तिया हिल्स	"वापुंग सी&आर्डी ब्लॉक" लैड्रिमबाई ख्लीहदुपो

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

S.O. 1681(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from design km 0+000 to km 18+930 and km 20+600 to km 21+810 in Ri-Bhoi District; from design km 35+250 to km 66+405 in West Jaintia Hills District; design km 66+220 to km 66+340 (RHS) and km 66+405 to km 147.250 in East Jaintia Hills District for Development, Maintenance, Management and Operation of Greenfield High Speed Corridor of 166.80 km (NH-6) from Mawlyngkhung (near Shillong) in Meghalaya to Panchgram (near Silchar) in Assam.

SCHEDULE

Land Acquisition on National Highway No. New NH 6 in the State of MEGHALAYA

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	DC(R), Ri-Bhoi District	New NH 6 KM 0 TO KM 21.81	MEGHALAYA	Ri-Bhoi	Bhoirymbong	1 Mawpun Kshaid 2 Nongsder
2	DC(R), West Jaintia Hills District	New NH 6 KM 35.25 TO KM 66.405	MEGHALAYA	West Jaintia Hills	Thadlaskein	1 Nongkhroh
3	DC(R), East Jaintia Hills District	New NH 6 KM 66.22 TO KM 147.25	MEGHALAYA	East Jaintia Hills	Wapung C&RD Block	1 Ladrymbai Khliehdupon

[F. No. NHIDCL/PMU-Khliehriat/2025/LA/New NH-6 Greenfield/]

SHAIKH AMINKHAN, Director